

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर  
// आदेश //


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.01.2023

क्रमांक एफ 1-21/2022/38-1 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, निम्नलिखित लिपिकीय वर्ग को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कॉलम-5 में स्थानान्तरित कर पदस्थ करता है :-

| क. | अधिकारी का नाम         | पदनाम            | वर्तमान पदस्थापना   | नवीन पदस्थापना                           |
|----|------------------------|------------------|---|--|
| 1  | 2                      | 3                | 4   | 5  |
| 01 | श्री आर.के. विश्वकर्मा | सहायक<br>ग्रेड-2 | शासकीय निरंजन<br>केशरवानी महाविद्यालय,<br>कोटा, जिला-बिलासपुर | शासकीय महाविद्यालय बरपाली,<br>जिला-कोरबा |

- 2/ स्थानान्तरित कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 3/ उपरोक्त स्थानान्तरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.ए.निर्मलकर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.01.2023

क्रमांक एफ 1-21/2022/38-1  
प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर
  - अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
  - विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
  - महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
  - आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. रायपुर।
  - क्षेत्रीय अपर संचालक, संभाग-.....(छ.ग.),
  - संबंधित कलेक्टर, जिला -.....(छ.ग.),
  - संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....(छ.ग.),
  - संबंधित प्राचार्य -.....(छ.ग.),
  - संबंधित कर्मचारी.....(छ.ग.),
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 आदेश फोल्डर

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग